प्रेस नोट

***जनपद-संतकबीरनगर ***

दिनांक 26.07.2025

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजय सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 683/2025 धारा 137(2), 351(2), 64(2)(m) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता आदित्य कुमार पुत्र अजय कुमार निवासी मोहल्ला शास्त्री नगर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 26.07.2025 को रेलवे मालगोदाम के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को दिनाँक 24.07.2025 को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी कर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 26.07.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राकेश कुमार, हे0का0 सम्पूर्णानन्द यादव, का0 अभिषेक।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना मेंहदावल पुलिस** द्वारा 01 वारण्टी नाम पता साधू पुत्र रामनाथ केवट निवासी गगनईराव थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री दशरथ, हे0का0 अरुण प्रजापति।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 09 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 09 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 177 वाहनों से 2,41,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 26.07.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 177 वाहनों से 2,41,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 4000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 26.07.2025 को ***मा0 न्या0 सीजे(एसडी) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर*** के द्वारा अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि तथा 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 164/2003 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त झीनक उर्फ भीनक पुत्र हकीकुल्ला निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम में जेल में बितायी गयी अवधि व 04 हजार रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा ।